Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 45/2024 सी.आई.एस.क्र.– 45/2024

लक्ष्मण यादव एवं अन्य बनाम पूनम देवी एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
06.05.2026	वादी एवं प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। यह वाद प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.01.2026 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रतिवादी नियत समयावधि के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। प्रतिवादी दिनांक 18.12.2025 को लिखित कथन प्रस्तुत किया है। अतः निवेदन है कि विलंब को माफ करते हुये प्रतिवादी के लिखित कथन को स्वीकृत करने की कृपा की जाये। वादी की ओर उक्त आवेदन पर प्रतिउत्तर न प्रस्तुत कर मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी के द्वारा जानबूझकर विलंब से लिखित कथन प्रस्तुत किया गया है जिस कारण से वादी को असुविधा हुई है। अतः प्रतिवादी के आवेदन को खर्च के साथ स्वीकृत करने की कृपा की जाये। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी इस वाद में दिनांक 02.09.2025 को ही उपस्थित हो गये थे तथा उनके द्वारा 90 दिनों के बाद दिनांक 18.12.2025 को विलंब से लिखित कथन प्रस्तुत किया गया है जिसका कारण प्रतिवादी द्वारा दर्शित किया गया है कि वाद से संबंधित आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं हो सका था। वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिये उभय पक्ष के अभिवचन को अभिलेख पर लाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः विलंब से प्रस्तुत लिखित कथन से वादी को हुई असुविधा को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिवादी के इस आवेदन को **500 रूपये खर्च पर स्वीकृत** कर उनके लिखित कथन को ग्रहण किया जाता है। खर्चा वादी को देय होगा। वाद आगामी दिनांक 14.05.2026 वास्ते सुलह वार्ता हेतु। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	